दिनांक 23.09.2020 को सचिव, लघु जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ की गयी समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

सर्वप्रथम RIDF अन्तर्गत क्रियान्वित हो रही योजनाओं के Reimbursement Claim की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि RIDF Tranche-XXV & XXVI के अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं का Reimbursement Claim 14 प्रमंडलों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंताओं द्वारा बताया गया कि योजनाओं का Reimbursement Claim अधीक्षण अभियंता को भेज दिया गया है। अधीक्षण अभियंता, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि लघु सिंचाई प्रमंडल, कटिहार एवं पूर्णियाँ का Reimbursement Claim मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर को भेज दिया गया है।

सभी अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता को निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता से प्राप्त Reimbursement Claim को दिनांक-25.09.2020 तक मुख्यालय को उपलब्ध करा दें।

लघु सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद एवं आरा द्वारा Tranche XXIII-XXV तक की योजनाओं का Reimbursement Claim त्रुटिपूर्ण भेंजा गया है। कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि संशोधित Reimbursement Claim मुख्यालय को दिनांक 25.09.2020 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा सभी Tranche की योजनओं का Reimbursement Claim एक ही साथ भेंजा गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि अलग-अलग Tranche एवं ग्रूप के अनुसार Reimbursement Claim तैयार कर भेंजा जाय।

Non-Starter योजनायें:-

RIDF की 42 योजनायें Non-starter की श्रेणी में है। इस संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इन योजनाओं पर जल संसाधन विभाग अथवा मनरेगा के माध्यम से कार्य हो गया है तथा कुछ योजनायें Technically Feasible नहीं है। वर्तमान में निम्नांकित योजनायें (सूची संलग्न) Non-starter की श्रेणी में है :-

जिला का नाम	RIDF Trans	योजनाओं की संख्या
पटना	XXIV-100	2
मुंगेर	XXIV-78	1
	XXIV-100	2
	XXV-146	2
मधुबनी	XXIV-45	1
आरा (भोजपुर)	XXIV-100	2
गया	XXIV-78	1
	XXIV-100	1
	XXV-146	1
अरवल	XXIV-100	1
नवादा	XXIV-100	1
जमुई	XXIV-78	2
	XXIV-100	2
	XXV-146	16
दरभंगा	XXV-146	2
बांका	XXV-146	1
रोहतास	XXV-146	1
भागलपुर	XXIV-100	2
किशनगंज	XXIV-100	1
	कुल-	42

क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि Non-starter श्रेणी की योजनाओं को सुस्पष्ट कारण (Proper Reason) देते हुए Drop करने का प्रस्ताव मुख्य अभियंताओं के माध्यम से मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

Slow Moving योजनायें:–

RIDF अन्तर्गत निम्नांकित योजनायें (सूची संलग्न) Slow Moving की श्रेणी में हैं :–

जिला का नाम	RIDF Trans	योजनाओं की संख्या
बेतिया	XXIV-45	2
कटिहार	XXIV-45	1
मधुबनी	XXIV-78	1
बक्सर	XXIV-100	1
	XXV-146	1
अरवल	XXIV-100	1
नवादा	XXIV-100	1
जमुई	XXIV-100	3
	XXV-146	11
मुंगेर	XXIV-100	1
भागलपुर	XXIV-100	2
किशनगंज	XXIV-100	1
नालंदा	XXV-146	1
गया	XXV-146	1
औरंगाबाद	XXV-146	1
रोहतास	XXV-146	1
बांका	XXV-146	1
दरभंगा	XXV-146	3
	कुल–	**34**

सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि Slow Moving योजनाओं के कार्य में प्रगति लावें तथा समय–सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करावें।

जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत नयी योजनाओं का DPR:-

अधिकांश कार्यपालक अभियंताओं द्वारा बताया गया कि योजनाओं की संख्या के अनुपात में पदस्थापित कनीय अभियन्ताओं की संख्या कम है जिसके फलस्वरूप सर्वेक्षण कर DPR बनाने में ज्यादा समय लगेगा।

इस संबंध में कार्यपालक अभियंताओं की निदेश दिया गया कि प्रत्येक कनीय अभियंता प्रत्येक माह कम–से–कम 10 DPR तैयार करें। इसके अतिरिक्त जो योजनायें बचती है उसका DPR स्थानीय एजेंसी के माध्यम से कराया जा सकता है। इसके लिए दिशा निदेश अलग से भेंजा जा रहा है।

योजनाओं से सम्बन्धित सूचनायें/आंकड़ा विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड/अपडेट करना:–

समीक्षा में पाया गया कि विभागीय वेब पोर्टल पर अधिकांश प्रमण्डलों द्वारा नयी प्रस्तावित योजनाओं से सम्बन्धित सर्वेक्षण, DPR की तैयारी, जिला पदाधिकारी से अनुशंसा तथा Ongoing योजनाओं का Post Level, MB, अध्यतन व्यय, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति तथा अन्य सूचनायें अपलोड/अपडेट नहीं किये जा रहे हैं। इस संबंध में निम्नांकित निदेश दिये गये:–

i) कार्यपालक अभियन्ताओं को निदेश दिया गया कि नोडल पदाधिकारी से अथवा स्वयं योजनाओं से सम्बन्धित सूचनायें वेब पोर्टल पर प्रत्येक शुक्रवार को अद्यतन करें।

ii) विभागीय बैठक/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक दिन पूर्व योजनाओं से सम्बन्धित सूचनायें/आंकड़े निश्चित रूप से पोर्टल पर अपडेट होनी चाहिए।

iii) वेब पोर्टल पर अपलोड/अपडेट की गयी योजनाओं की समीक्षा अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता करेंगे तथा अपना मंतव्य वेब पोर्टल पर अंकित करेंगे।

iv) अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता विभागीय बैठक/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एक दिन पूर्व अपने प्रक्षेत्राधीन प्रमण्डलों की योजनाओं की समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन के साथ बैठक/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेंगे।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

संतोष 25/9

सचिव

ज्ञापांक– 1844 (मो०) /पटना, दिनांक– 25/9/2020

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1844 (मो०) /पटना, दिनांक– 25/9/2020

प्रतिलिपि– सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25/9/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1844 (मो०) /पटना, दिनांक– 25/9/2020

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25/9/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।